पंजियन सं. 98/1956 श्री दादूदयालवे नमः फोन नं. : 0141–2623136

संचालन समिति, श्री दादू महाविद्यालय व छात्रावास

मोती डूंगरी, जयपुर – 302004

क्रमांक :– दिनांक

संचालन समिति श्री दादू महाविद्यालय व छात्रावास, मोती डूंगरी, जयपुर –302004 (राज.) के निर्वाचन हेतु श्री दादू दयालु महासभा की कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित निर्वाचन उप नियम (निर्धारित पद्धति) 2025

1. **नाम** – संचालन समिति श्री दादू महाविद्यालय व छात्रावास जयपुर, निर्वाचन उप नियम, 2025 कहलायेंगे।
2. **उद्‌देश्य** – श्री दादू दयालु महासभा रजि नं. 16/49 एवं 675/79 व संचालन समिति श्री दादू महाविद्यालय एवं छात्रावास जयपुर रजि. संख्या 98/1956 उक्त दोनों संस्था के नियमों के अन्तर्गत संचालन समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये ये उपनियम बनाये गये है।
3. उक्त दोनों संस्थाओं की नियमावलियों में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत श्री दादू दयालु महासभा की कार्यकारिणी व निर्वाचन अधिकारी (संस्था सभापति) के द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना व सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालन समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के लिये निर्वाचन संबंधी निम्न कार्य करनाः–

(1) संस्थाओं की नियमावलियों के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन करना व निर्वाचन के लिये मतदान करने कर सूचना सम्बन्धित मतदाताओ को भिजवाना।

(2) मण्डल प्रतिनिधि/सदस्य जो कि संचालन समिति के लिये सदस्य हेतु अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हो उन्हें निर्वाचन की सूचना भिजवाना।

(3) निर्वाचन के लिये घोषित की गई तिथियों के अनुसार संचालन समिति के सदस्यों/ पदाधिकारियों का निर्वाचन करवाना।

(4) विशेष परिस्थिति में निर्वाचन की तिथियों बदलने का अधिकार एक मात्र निर्वाचन अधिकारी (सभापति संस्था) को होगा।

(5) संचालन समिति के सदस्यों के लिये निम्न श्रेणियां है, जिनके लिये निर्वाचन श्री दादूदयालु महासभा की कार्यकारिणी के द्वारा किया जावेगाः–

(1) **दानदाता सदस्यः–** संस्था को एक समय में 2000/– रूपये या इससे अधिक या बारह महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिये कम से कम 50/– रूपये दान देने वाला व्यक्ति जो श्री दादू दयालु महासभा, जयपुर का सदस्य हो वहीं व्यक्ति दानदाता सदस्य के लिये उम्मीदवार हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे, इन सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 है।

(2) **पूर्व स्नातकः–** श्री दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर से जिसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो व श्री दादूदयालु महासभा, जयपुर का सदस्य हो उम्मीदवार हेतु नामांकन–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। इन सदस्यो की संख्या–1 हैं।

(3) **साधारण सदस्यः–** वह व्यक्ति जो श्री दादुदयालु महासभा का सदस्य है वह उम्मीदवार हेतु नामांकन–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। इन सदस्यों की संख्या–2 हैं।

(4) **अभिभावक व अन्य समुदाय के सदस्यः–** प्रबंध द्वारा चलाई जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता–पिता में से कम से कम एक सदस्य व एक सदस्य अन्य समुदाय में से, इस प्रकार उक्त दो सदस्यों को श्री दादूदयालु महासभा की कार्यकारिणी द्वारा सहयोजित किया जावेगा, किन्तु संचालन समिति में कुल 15 सदस्यों में, एक ही पंथ के दो–तिहाई सदस्य नहीं होने पर पंथ में से भी एक सदस्य को सहयोजित किया जा सकेगा, जिसमें यह बाध्यता नहीं होगी की अन्य समुदाय से दो सदस्यों को ही सहयोजित किया जावें।

(5) **अध्यापक प्रतिनिधिः–** उक्त प्रतिनिधि का चयन श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों में से जिनका कि सेवाकाल न्यूनतम तीन वर्ष शेष रहा हो का ही चयन कर्मचारियों द्वारा किया जावेगा, जिसके चयन की सूचना प्राचार्य के माध्यम से सहायक निर्वाचन अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि में भेजी जावेगी।

(6) **विभागीय प्रतिनिधिः–** संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि (पदेन)

(7) **विश्वविद्यालय प्रतिनिधिः–** (पदेन)

(8) **संस्था प्रधान प्रतिनिधिः–** प्राचार्य (पदेन)

4. श्री दादूदयालु महासभा की कार्यकारिणी का सभापति (अध्यक्ष) ही संचालन समिति का पदेन सभापति (अध्यक्ष) होगा व शेष निम्न 4 पदाधिकारियों का चयन / निर्वाचन नवगठित संचालन समिति के निर्वाचन सदस्यों और सहयोजित पदेन सदस्य मिलकर करेगें। संस्था का कर्मचारी संचालन समिति का पदाधिकारी नहीं होगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन आवश्यकता होने पर गुप्त मतदान प्रक्रिया से सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न करवाया जावेगा, जिसका समस्त अभिलेख निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन अधिकारी (सभापति संस्था) को सम्भलाया जावेगाः–
   1. उपसभापति।
   2. मंत्री (सचिव)
   3. कोषाध्यक्ष।
   4. आय–व्यय निरीक्षक।

5. **निर्वाचन में निम्न सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे।**
   - वे सदस्य जिनकी श्री दादूदयालु महासभा द्वारा सदस्यता समाप्त / निलम्बित की गई हों।
   - वे सदस्य जिनका संस्था के मध्य न्यायालयों में वाद चल रहे हों।
   - व सदस्य जिन्होंने दोनों संस्थाओं की बकाया राशि जमा नहीं कराई हों। नामांकन–पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को मंत्री श्री दादू दयालु महासभा व मंत्री संचालन समिति श्री दादू महाविद्यालय से अदेय प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में नामांकन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही नामांकन–पत्र को स्वीकार किया जावेगा।
   - वे सदस्य व उनका परिवार जो संस्था की सम्पत्तियों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लाभ ले रहे हो या उपयोग उपभोग कर रहे हों।
   - वे सदस्य जिन्होंने संस्था का रिकार्ड (न्यायालय आदेश को छोड़कर) जमा नहीं करवाया हों।
   - वे सदस्य जिन्होंने संचालन समिति श्री दादू महाविद्यालय छात्रावास, जयपुर के समान उद्देश्यों के आधार पर, किसी संस्था की स्थापना संचालन समिति के समानान्तर (पैरेलल) की हो व उसके सदस्य हैं, तो वे नामांकन पत्र भरने के लिये सक्षम नहीं हैं
   - वे सदस्य जो वर्तमान में श्री दादू दयालु महासभा की कार्यकारिणी में सदस्य/पदाधिकारी है, वे सदस्य जब तक महासभा की कार्यकारिणी से त्याग पत्र नहीं दें, नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

6. निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार के विवादों की अपील निर्वाचन अधिकारी (सभापति) को दो दिवस में प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी सुनवाई निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात 10 दिवस में फैसला किया जावेगा।

7. अपूर्ण, गलत सूचना होने या अन्य किस त्रुटिवश नामांकन पत्र को निरस्त करने का सहायक निर्वाचन अधिकारी को पूर्ण अधिकारी होगा। नामांकन–पत्र अहस्तान्तरणीय हैं।

8. नामांकन पत्र जिसका शुल्क 1000/–रूपये सहायक निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकेगा।